भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2238
01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

खतरनाक रसायनों का सुरक्षित निपटान

2238. श्री आदित्य यादव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपशिष्ट उत्पादन को रोकने, अपशिष्ट न्यूनीकरण को बढ़ावा देने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने और खतरनाक रसायनों के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है, जिसमें कठोर नियमों को लागू करना, बुनियादी ढांचे में निवेश करना और रसायन उद्योग में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) :

(I) भारत सरकार ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का सुरक्षित भंडारण, उपचार और निपटान सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) [एचओडब्ल्यूएम] नियम, 2016

अधिसूचित किया है। प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए, सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए हैं एवं पैकेजिंग प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान हेतु इन नियमों के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था पेश की गई है। पेट्रोलियम और उसके व्युत्पन्न पदार्थों जैसे खतरनाक रसायनों के संबंध में; अपशिष्ट उत्पादन को रोकना, अपशिष्ट न्यूनीकरण को बढ़ावा देना, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करना और खतरनाक रसायनों की सुरक्षित हैंडलिंग पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार है। विस्फोटक जैसे खतरनाक रसायनों के संबंध में; अपशिष्ट उत्पादन को रोकना, अपशिष्ट न्यूनीकरण को बढ़ावा देना और खतरनाक रसायनों की सुरक्षित हैंडलिंग विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार है।

(II) अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम चरणों अर्थात रोकथाम; न्यूनीकरण; पुनः उपयोग; पुनर्चक्रण; पुनर्प्राप्ति; सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और भस्मीकरण या सुरक्षित लैंडफिलिंग के माध्यम से सुरक्षित निपटान का पालन करने के लिए एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 के तहत प्रावधान किए गए हैं।

(III) सामान्यतः पुनर्चक्रण योग्य खतरनाक अपशिष्टों (एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 की अनुसूची-IV के अंतर्गत सूचीबद्ध) के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पुनर्चक्रण/उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 10 प्रकार के खतरनाक अपशिष्टों के लिए "खतरनाक अपशिष्टों का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पुनर्चक्रण" शीर्षक से दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त, सीमेंट भट्टों में खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के उपयोग के लिए, सीपीसीबी ने "सीमेंट संयंत्रों में खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का पूर्व-प्रसंस्करण और सह-प्रसंस्करण" शीर्षक से दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(IV) उपरोक्त के अलावा, खतरनाक और अन्य अपशिष्टों को संसाधन के रूप में या किसी अन्य उपयोग के लिए, सीपीसीबी ने खतरनाक अपशिष्टों की 83 श्रेणियों के उपयोग के लिए 118 मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की हैं, जो डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा इस प्रकार के अपशिष्टों को इनपुट के रूप में उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे उनके पुन: उपयोग/रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलता है और इस प्रकार सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

(V) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियमों में 2023 में संशोधन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 'प्रयुक्त तेल' को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था के अंतर्गत लाने की एक नई पहल की गई है। उक्त नियम सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और बेस और स्नेहन तेल के उत्पादकों और 'प्रयुक्त तेल' के आयातकों पर केवल पंजीकृत पुनर्चक्रकों के माध्यम से पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी को रेखांकित करते हैं ताकि 'प्रयुक्त तेल' का पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ प्रबंधन सुनिश्चित हो

सके। पूर्वोक्त ईपीआर विनियमन का कार्यान्वयन, प्रयुक्त तेल के व्यवस्थित संग्रह, स्क्रैपिंग और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करके सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को मजबूत करता है। यह न केवल संसाधन संरक्षण को सरल बनाता है, बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र के औपचारिकीकरण और संबंधित हितधारकों के लिए व्यावसायिक विकास को भी बढ़ावा देता है, जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था मिशन के अनुरूप एक स्थायी पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है।

उक्त नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई उत्पादक, पुनर्चक्रक, संग्रहण एजेंट और प्रयुक्त तेल आयातक, जो इन नियमों के अनुसार प्रयुक्त तेल के पर्यावरणीय रूप से सही तरीके से संचालन और प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, जिसके कारण पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि, क्षति या क्षति होती है तो उसे पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी करनी होगी।

(VI) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक सूची के आधार पर, 2023-24 के दौरान लगभग 10.06 मिलियन मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/उपयोग/सह-प्रसंस्करण किया गया है।

******